

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 615]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 10, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधिसूचना
सं. 35/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (118).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोवीड-19 के प्रसार के मद्देनजर परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि —

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से जून, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा जून, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी —

(क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या

(ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, ब्यान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;

लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है —

(क) अध्याय IV;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(ग) धारा 39, परंतु, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;

(घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा

(ड) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

(ii) जहां छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को अप्रैल, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना को मार्च, 2020 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (118).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (118), दिनांक 19-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th November 2020

NOTIFICATION
No. 35/2020 – State Tax

No. F 10 - 83/2020/CT/V(118).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under,-

(i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30th day of June, 2020, including for the purposes of--

- (a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or
- (b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below -

- (a) Chapter IV;
- (b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);
- (d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
- (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above;

(ii) where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of April, 2020.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधिसूचना

सं. 43/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (119).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 17) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 मई, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 11 के उपबंध प्रवृत्त मानी जाएगी, नियत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (119).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (119), दिनांक 19-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th November 2020

NOTIFICATION

No. 43/2020 – State Tax

No. F 10 -83/2020/CT/V(119).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (17 of 2020) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government hereby appoints the 18th day of May, 2020, as the date on which the provisions of section 11 of the said Act, Shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधिसूचना

सं. 46/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (120).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड-19 महामारी के फैलाव की दृष्टि से, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि उन मामलों में जहां पूर्णतः या भागतः प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और जहां उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (5) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय-सीमा 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान है, ऐसी दशा में, उक्त आदेश को जारी करने के लिए समय-सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् पंद्रह दिनों तक या 30 जून, 2020 तक जो भी बाद का हो, विस्तारित हो जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (120).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (120), दिनांक 19-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th November 2020

NOTIFICATION
No. 46/2020 – State Tax

No. F 10-83/2020/CT/V(120).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 30th day of June, 2020, whichever is later.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधिसूचना
सं. 49/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (121).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 17) (जिसे इसके पश्चात उक्ता अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 2 और 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (121).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच (121), दिनांक 19-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th November 2020

NOTIFICATION
No. 49/2020 – State Tax

No. F 10 -83 /2020/CT/V(121).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (17 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government hereby appoints the 30th day of June, 2020, as the date on which the provisions of sections 2 and 13 of the said Act, shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.